भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1856

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जेएसवाई के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

1856 श्रीमती राजाथी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अन्तर्गत आवंटित और वितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जेएसवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किए गए तकनीकी सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों की ज़िला /ब्लॉक-वार कितनी महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अन्तर्गत आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की कोई योजना बना रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृतियों का विवरण **अनुबंध I** में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी और दिशा-निर्देश जारी करके तकनीकी सहायता प्रदान करता है। साथ ही, निगरानी, समीक्षा और डिजिटल निगरानी ढांचे के लिए नियमित सहायक पर्यवेक्षी दौरे भी आयोजित करता है।

(ग) तमिलनाडु राज्य से प्राप्त पिछले वित्त वर्ष के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों में वर्गीकृत जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) लाभार्थियों की संख्या का जिलावार विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

(घ) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) की जिम्मेदारियों में लाभार्थियों की पहचान करना, प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) के लिए लाभार्थियों के राजिस्ट्रीकरण को सुविधाजनक बनाना और उन्हें एकजुट कर मार्गदर्शन प्रदान करके संस्थागत प्रसव को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

*****

दिनांक 16.12.2025 को उत्तर के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1856 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध I

राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) की स्वीकृति (लाख रुपये में)						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**वित्त वर्ष 2024-25**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.63	3.78	5.63	5.69	4.29
2	आंध्र प्रदेश	3445.90	3861.90	4053.00	4053.00	4011.15
3	अरुणाचल प्रदेश	274.30	345.38	309.62	325.46	279.51
4	असम	6933.61	6872.87	7917.38	8248.54	8536.93
5	बिहार	39083.20	39358.20	39358.20	41325.11	32930.00
6	चंडीगढ़	3.92	3.02	2.18	2.18	0.74
7	छत्तीसगढ़	6860.70	6981.45	6935.25	7285.20	7605.00
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	30.99	31.31	32.32	32.32	32.14
9	दिल्ली	142.00	142.00	138.50	138.50	50.90
10	गोवा	3.80	3.80	3.99	3.99	3.99
11	गुजरात	3449.65	3149.66	3217.33	3217.33	3132.94
12	हरियाणा	450.20	435.20	370.91	370.91	793.04
13	हिमाचल प्रदेश	196.50	196.50	207.49	213.88	210.50
14	जम्मू और कश्मीर	7901.03	2972.03	2733.03	2733.03	2733.03
15	झारखंड	9014.25	9014.25	9014.25	9539.25	9962.00
16	कर्नाटक	4945.00	4720.20	4320.20	4320.20	3485.98
17	केरल	1544.23	1178.04	1480.31	1480.31	1615.22
18	लद्दाख	73.47	79.27	76.50	76.50	74.90
19	लक्षद्वीप	12.82	13.00	13.00	13.65	13.00
20	मध्य प्रदेश	22108.75	22107.75	21861.25	21861.25	22154.25
21	महाराष्ट्र	4382.59	4280.79	4254.45	4254.45	4604.90
22	मणिपुर	168.53	168.53	168.53	168.53	160.50
23	मेघालय	390.00	485.00	566.90	566.90	672.63
24	मिजोरम	195.11	166.33	167.45	169.86	200.06
25	नागालैंड	154.60	161.82	120.65	132.15	121.25
26	ओड़िशा	8894.19	9208.38	9388.40	9976.15	9416.10
27	पुदुचेरी	57.61	57.55	57.55	57.55	62.81
28	पंजाब	1042.00	1032.00	1084.30	1084.30	1133.00
29	राजस्थान	19885.85	19867.67	18981.00	19474.72	19489.05
30	सिक्किम	33.38	30.43	30.93	30.93	31.95
31	तमिलनाडु	3371.49	3371.88	3453.93	3453.93	2742.22
32	तेलंगाना	3195.30	1542.77	1770.96	1770.96	3412.64
33	त्रिपुरा	309.00	388.00	320.50	349.50	309.75
34	उत्तर प्रदेश	52725.94	52920.67	54763.67	54763.67	54897.23
35	उत्तराखंड	1812.42	1540.21	1718.43	1623.93	1759.88
36	पश्चिम बंगाल	8233.85	8043.33	8494.81	8494.81	7766.46
स्रोत: राज्यों द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एनएचएम वित्त प्रभाग को साझा किए गए वित्त वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार है। अन्य वित्त वर्ष में आरओपी में एसपीआईपी के स्वीकृतियों के अनुसार है।						

दिनांक 16.12.2025 को उत्तर के लिए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1856 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध II

तमिलनाडु में जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) लाभार्थियों की संख्या					
क्र. सं.	जिला	वित्त वर्ष 2024-25			
		अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य	कुल
1	अरियालूर	1349	60	3213	4622
2	चेंगलपत	2820	316	6882	10018
3	चेन्नई	11806	202	26920	38928
4	कोयंबटूर	2161	29	10307	12497
5	कुड्डालोर	6868	261	7298	14427
6	धर्मपुरी	2051	784	8072	10907
7	डिंडीगुल	3537	8	8417	11962
8	इरोड	478	781	4490	5749
9	कल्लाकुरिची	4619	835	6523	11977
10	कांचीपुरम	1453	259	3891	5603
11	कन्याकुमारी	927	273	4616	5816
12	करूर	2130	0	3003	5133
13	कृष्णागिरी	2889	121	5759	8769
14	मदुरै	3559	25	13346	16930
15	माइलादुथुरई	2309	19	2996	5324
16	नागपट्टिनम	1082	58	1953	3093
17	नामक्कल	3004	800	5954	9758
18	पेरम्बलुर	1974	64	2318	4356
19	पुडुकोट्टई	2909	8	9288	12205
20	रामाण्ड	2180	22	5518	7720
21	सलेम	4033	1326	13715	19074
22	शिवगंगा	2402	0	4260	6662
23	तेनकासी	1526	25	4883	6434
24	तंजावुर	6664	107	12508	19279
25	द नीलगिरी	1238	338	1118	2694
26	थेनी	4302	48	7310	11660
27	थिरुपाथुर	5340	74	7425	12839
28	तिरुवल्लुर	4094	519	8386	12999
29	तिरुवन्नामलाई	5348	2514	8245	16107
30	थिरुवरुर	3331	148	3708	7187
31	थुथूकडी	3474	14	7586	11074
32	तिरुनेलवेली	3709	72	6396	10177
33	तिरुपूर	3157	151	7436	10744
34	त्रिची	4443	45	10585	15073
35	वेल्लोर (रानीपेट सहित)	1954	1422	6870	10246
36	विल्लुपुरम	4269	376	8079	12724
37	विरुधुनगर	4529	18	8769	13316
स्रोत: तमिलनाडु राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार आंकडे।					

*****